

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 14 व 15.10.2016 को प्रस्तावक विभाग की ओर श्री सी० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० तथा वन विभाग की ओर से श्री ए० के० सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी कासगंज रेंज कासगंज द्वारा जनपद एवं तहसील कासगंज में जनपद मुख्यालय कासगंज, एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (लम्बाई 20.00 से 24.300 कि०मी०) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक (कि०मी० 146 से 161.5 तक) चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

रेंज का नाम	विवरण	मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रफल	वाधक वृक्ष
1.	एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (लम्बाई 20.00 से 24.300 कि०मी०) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक (कि०मी० 146 से 161.5 तक) चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	$5300 \times 12 = 63600$ $4700 \times 12 = 56400$ $4000 \times 9.80 = 39200$ $360 \times 10 = 3600$ $6440 \times 12 = 77280$ योग - 240080 वर्ग०मी० = 24.008 हैक्टेयर	3234 वृक्ष (सूची संलग्न)

प्रस्तावित कार्य हेतु आपेक्षित 24.008 है० संरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित है। प्रस्तावित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग मानचित्र में संलग्न है।

(3)

(C. P. A. Singh)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 कासगंज रेंज, कासगंज

(सी०पी० सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०कासगंज

(सुरीत कुमार सक्सेना)
 प्रस्तावित वन अधिकारी,
 कासगंज वन प्रभाग,
 कासगंज।